

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

20 राठ (विभाग)

सं० सं०-म०नि०-II-उ०यो०- 50/2017-18/

/मत्स्य, राँची, दिनांक

25/6/2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय-

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के अंतर्गत कुल मो० 2515.09 लाख (पच्चीस करोड़ पंद्रह लाख नौ हजार) रु० मात्र की अनुमानित लागत पर तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय सामान्य राज्यादेश सं०-03 रा० (विभाग) दिनांक 03.05.2018 तथा ऑन लाईन राज्यादेश सं० 288, 289 दिनांक 03.05.2018 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं० 760 के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कुल मो० 2515.09 लाख (पच्चीस करोड़ पंद्रह लाख नौ हजार) रु० मात्र की अनुमानित लागत पर तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है ।

2. इस योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जलाशयों के कुल 1,21,117 हेक्टर जलक्षेत्रों में 4375 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का in-situ संभावित उत्पादन एवं उन्हीं जलाशयों में संचयन करने, राज्य के जलाशयों में कुल 415 लाख मेजर कार्प तथा 55 लाख ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन करने, विभिन्न जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में 110.06 लाख पैगेशियस एवं अन्य उपयुक्त बीज का संचयन, पुराने आर०एफ०एफ० हेतु इनपुट, 50 नये आर०एफ०एफ०, मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों के लिए 140 नाव जैसे अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II एवं III में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. अनुमानित स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत विभिन्न लघु शीर्षों के विभिन्न मदों में प्राप्त बजट उपबंध के अनुरूप किया जायेगा, जिसके लिये राज्य योजना में समुचित बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय प्राप्त है:-

Anita

Anita

Anita

माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
2405 मछली पालन-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क्र०	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध (लाख ₹ में)	स्वीकृत राशि (लाख ₹ में)
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन		
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S240500101060323	1244.76	1104.51
	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-40 नई मोटरगाड़ी का क्रय विपत्र कोड 53S240500101060440	10.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड 53S240500101060543	65.00	65.00
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय विपत्र कोड 53S240500101060759	11.00	11.00
	उप योग:	1330.76	1180.51
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना		
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S240500789060323	278.56	272.93
	उप योग:	278.56	272.93
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना		
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S240500796060323	1090.94	983.91
	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-40 नई मोटरगाड़ी का क्रय विपत्र कोड 53S240500796060440	10.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड 53S240500796060543	63.74	63.74
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय विपत्र कोड 53S240500796060759	14.00	14.00
	उप योग:	1178.68	1061.65
	कुल योग:	2788.00	2515.09

कुल योग मो० 2515.09 लाख (पच्चीस करोड़ पंद्रह लाख नौ हजार) ₹ मात्र।

4. (क) इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से संलग्न परिशिष्ट-I, II एवं III में उल्लेखित भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही राशि व्यय की जाएगी।

(ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना की सृजित देनदारियाँ जिनका भुगतान कतिपय कारणों से लंबित रहा है, का भुगतान, विधिवत जाँचोपरांत इस राज्यादेश के अधीन किया जा सकेगा। देनदारियों का सृजन स्वीकृत कार्यों के वास्तविक निष्पादन के उपरान्त हुआ है, इसकी विधिवत समीक्षा और इसकी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

का.नि



5. इस योजना में विभागीय प्रक्षेत्रों में कुल 2500 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन मो0 9000/- (नौ हजार) रु0 प्रति लाख मत्स्य बीज की अनुमानित दर पर किया जायेगा। लघु शीर्ष-789 में उत्पादित 300 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत अर्थात् 240 लाख मत्स्य बीज, लघु शीर्ष-796 में उत्पादित 1310 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत अर्थात् 1048 लाख मत्स्य बीज एवं लघु शीर्ष-101 में उत्पादित बीज 890 लाख का 80 प्रतिशत अर्थात् 712 लाख मत्स्य बीज अर्थात् कुल 2000 लाख मत्स्य बीज हेतु मो0 10,000/- (दस हजार) रु0 प्रति लाख की दर से बिक्री कर मो0 200.00 लाख (दो करोड़) रु0 का राजस्व प्राप्त किया जायेगा।

शेष 500 लाख मत्स्य बीज अनुदान पर वैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो नगद राशि पर मत्स्य बीज का क्रय किए हों। अस्सी हजार मत्स्य बीज क्रय करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को बीस हजार मत्स्य बीज शत-प्रतिशत अनुदान पर देय होंगे। यह अनुपातिक रूप से जिलावार इस कोटि के लक्ष्य के अधीन होगा।

6. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा कुल 375 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 1500 करोड़ मत्स्य स्पॉन प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम 550/-रु0 प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्रय कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा।

हैचरी के संचालन हेतु स्थानीय समूह को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

7500 मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन से मत्स्य बीज की तैयारी, निकासी एवं बिक्री हेतु 2000/-रु0 का फैंक्टरी फॉरमूलेटेड फीड दिया जायगा, साथ ही जाल आदि के क्रय पर अधिकतम 2000/-रु0 अनुदान प्रति बीज उत्पादक की दर से जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

7. (क) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों के माध्यम से जलाशयों में in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 800/- रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रूप से व्यय किया जायेगा।

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर बड़े जलाशयों, मध्यम जलाशयों एवं छोटे जलाशयों में संचयन हेतु विभाजित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक जलाशयों में समानुपातिक रूप से अंगुलिकाओं का संचयन संभव हो। उप मत्स्य निदेशक (जलाशय) द्वारा जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु आवश्यक संख्या का अनुमोदन किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा जलाशयों में अंगुलिकाओं के ससमय संचयन हेतु आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत किया जायेगा।

(ग) पुराने आर0एफ0एफ0 में फ्राई हेतु संलग्न परिशिष्टों में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपादित किए जायेंगे।

(घ) जलाशयों के छाड़न हेतु स्पॉन का क्रय जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(ड०) नये आर0एफ0एफ0 के लिए प्रति चालीस मी0 गुणा पाँच मी0 के नेट के साथ इनपुट व्यय सहित इकाई लागत मो0 86000/-रु0 अनुमानित है। इस योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएंगे।

8. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर पूर्व से उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निबंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। संचयन के कार्यक्रम से जिले के उपायुक्त को संचिका

1-11

1-11

1-11

के माध्यम से अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार नई समिति का गठन उपायुक्त की सहमति से किया जा सकेगा।

9. (क) पोगेशियस बीज तथा अन्य मेजर/ग्रास कार्प की अंगुलिकाओं के क्रय हेतु जिला स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जायेगी। समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन एवं in-situ बीज उत्पादन के फोटोग्राफ्स/विडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे।

(ग) एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकतम 02 लाख मत्स्य बीज (मेजर कार्प अंगुलिका) ही क्रय किये जायेंगे।

(घ) विगत वर्ष की भाँति ही समितियों एवं उनके सदस्यों को दिए जाने वाले नाव की अनुमानित इकाई लागत तैंतीस हजार ₹0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम तीस हजार ₹0 प्रति नाव होगी। शेष राशि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा।

(ड.) केज रिपेयरिंग की अनुमानित लागत पैतीस हजार ₹0 है जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम पच्चीस हजार ₹0 की होगी। शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा।

(च) योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा जिलों को अनुदेश जारी किये जायेंगे।

(छ) उप मत्स्य निदेशक (जलाशय) इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे।

10. झारखण्ड दिव्यांग नीति के तहत इच्छुक दिव्यांगों को योजनाओं में तीन प्रतिशत तक का लाभ दिया जा सकेगा।

11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/पश्चिमी सिंहभूम/पूर्वी सिंहभूम/गुमला/लोहरदगा/पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/गिरिडीह/ देवघर/ चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला-खरसौवा/सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/ पाकुड़/रामगढ़/खूँटी/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी I, II एवं III के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

12. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये दर का निर्धारण कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।


14/11

14/11

14/11

16. वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जायगा।
17. योजना के अन्तर्गत कोई राशि अग्रिम के समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
18. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 3200.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 2752.83 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है।
19. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
20. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
21. यह पूर्णतः राज्य योजना है।
22. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
23. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।


विश्वासभाजन


(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक २०२० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक २५/६/२०१९

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव


ज्ञापांक २०२० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक २५/६/२०१९

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव


ज्ञापांक २०२० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक २५/६/२०१९

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक २०२० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक २५/६/२०१९

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव एवं सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

82

परिशिष्ट - 1
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) - मुख्य शीर्ष - 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत खिलार मीतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	कार्य	वित्तिय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री											योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	विभागीय मत्स्य क्षेत्र विभाग का मीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	120	70	60	80	150	80	720	50	50	90	890	
2	विभागीय मत्स्य क्षेत्र विभाग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	10.80	6.30	5.40	7.20	13.50	7.20	5.40	4.50	4.50	8.10	80.10	
3	मत्स्य क्षेत्र उत्पादकों को संख्या का मीतिक लक्ष्य (₹0 में)	400	280	280	310	360	250	340	280	340	360	3500	
4	मत्स्य क्षेत्र उत्पादकों को इन्पुट फॉर्मिडेटेड फंड तथा जाल का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	16.00	11.20	11.20	12.40	14.40	10.00	13.60	11.20	13.60	12.00	140.00	
5	मत्स्य क्षेत्र उत्पादकों को स्थान आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (₹0 लाख में)	8000	5600	5600	6200	7200	5000	6800	5600	6800	6000	70000	
6	मत्स्य क्षेत्र उत्पादकों को स्थान आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	39.6	27.72	27.72	30.69	35.64	24.75	33.66	27.72	33.66	29.7	346.50	
7	पोर्टलैंड सैन्स से स्थान उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (₹0 करोड़ में)	9	5	6	4	7	6	7	5	4	3	64	
8	पोर्टलैंड सैन्स से स्थान उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	3.60	2.00	2.40	1.60	2.80	2.40	2.80	2.00	1.60	1.20	25.60	
9	विभागीय सैन्स का रखरखाव एवं स्थान उत्पादन का मीतिक लक्ष्य (₹0 करोड़ में)	4	3	0	0	4	0	2	0	2	2	21	
10	विभागीय सैन्स का रखरखाव एवं स्थान उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	1.60	1.20	0.00	0.00	1.60	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	8.40	
11	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थान के संवर्धन का मीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	3800	1000	2400	1000	2500	700	2000	800	1000	500	17500	
12	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थान के संवर्धन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	30.40	8.00	19.20	8.00	20.00	5.60	16.00	6.40	8.00	4.00	140.00	
13	जलाशय में नेजर कार्य मत्स्य अंगुलिकाओं का संवर्धन का मीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	32	12	24	12	27	10	20	10	12	10	185	
14	जलाशय में नेजर कार्य मत्स्य अंगुलिकाओं का संवर्धन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	24	9	18	9	20.25	7.5	15	7.5	9	7.5	138.75	
15	जलाशय में गार्स कार्य मत्स्य अंगुलिकाओं का संवर्धन का मीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	5	2	4	2	4	2	3	2	2	2	30	
16	जलाशय में गार्स कार्य मत्स्य अंगुलिकाओं का संवर्धन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	7.50	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	4.50	3.00	3.00	3.00	45.00	
17	वर्ष 2017-18 तक पुराने कैना में फोशियस/अन्य उत्पादक क्षेत्रों का संवर्धन का मीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	9.80	5.60	13.30	2.10	12.60	2.10	5.60	2.10	0.00	0.00	59.57	
18	वर्ष 2017-18 तक पुराने कैना में फोशियस/अन्य उत्पादक क्षेत्रों का संवर्धन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	14.70	8.40	19.95	3.15	18.90	3.15	8.40	3.15	0.00	0.00	89.36	
19	पुराने रिवरईन फिश फार्मिंग/ओपन एरिया फार्मिंग का मीतिक लक्ष्य (₹0 में)	30	20	25	14	25	14	22	10	10	10	200	
20	पुराने रिवरईन फिश फार्मिंग/ओपन एरिया फार्मिंग का इन्पुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	7.50	5.00	6.25	3.50	6.25	3.50	5.50	2.50	2.50	2.50	50.00	
21	नये रिवरईन फिश फार्मिंग/ओपन एरिया फार्मिंग का मीतिक लक्ष्य (₹0 में)	8	5	0	0	5	0	7	0	0	0	30	
22	नये रिवरईन फिश फार्मिंग/ओपन एरिया फार्मिंग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	6.88	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	25.80	
23	मनोचिसो सभितियां/सदस्यों के लिये नाव का मीतिक लक्ष्य (₹0 में)	8	5	8	3	5	3	5	2	3	2	50	
24	मनोचिसो सभितियां/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	2.40	1.50	2.40	0.90	1.50	0.90	1.50	0.60	0.90	0.60	15.00	
		164.98	87.62	118.52	79.44	145.14	68.00	114.98	69.47	77.56	65.80	1104.51	
	वित्तिय शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुसंधान, भ्रमणवृत्ति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)												
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	5.00	3.00	0.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	4.00	30.00	
25	कार्यालय / क्षत्रों के अनुसंधान, भ्रमणवृत्ति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (राशि लाख ₹0 में)	1.5	1.5	3.0	0	3.0	0	2.0	1.0	0	2.0	14.0	
26	केब रियरिंग का मीतिक लक्ष्य (₹0 में)	3.75	3.75	7.50	0.00	7.50	0.00	5.00	2.50	0.00	5.00	35.00	
27	केब रियरिंग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0 में)	8.75	6.75	7.50	3.00	10.50	2.00	8.00	5.50	3.00	1.00	65.00	
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)												
ग	वित्तिय शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय												
28	परियोजना कार्यान्वयन हेतु आकांक्षिकता व्यय (राशि लाख ₹0 में)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	174.73	95.37	127.02	83.44	156.64	71.00	123.98	75.97	81.56	67.80	1180.51	

10/11/20

(पूजा शिवाल)
 सकार के सचिव

परिशिष्ट - II
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपप्रयोजना-उप शीर्ष-06-तालाव तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत खिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र	कार्य	वित्त वर्ष 03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री														योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	120	50	290	95	55	65	105	90	60	100	50	60	60	110	1310
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	10.80	4.50	26.10	8.55	4.95	5.85	9.45	8.10	5.40	9.00	4.50	5.40	5.40	9.90	117.90
3	मत्स्य बीज उत्पादकों को संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	340	130	250	190	180	250	310	250	340	250	180	160	170	0	3000
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इंप्यूट (कॉम्प्लेक्स फीड एवं जल) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	13.60	5.20	10.00	7.60	7.20	10.00	12.40	10.00	13.60	10.00	7.20	6.40	6.80	0.00	120.00
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	6800	2600	5000	3800	3600	5000	6000	4500	7500	5000	3600	3200	3400	0	60000
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	33.66	12.87	24.75	18.81	17.82	24.75	29.7	22.275	37.125	24.75	17.82	15.84	16.83	0	297.00
7	पेटवेल हैचरी से स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं० करोड़ में)	7	3	3	4	4	4	7	4	8	4	4	4	4	0	60
8	पेटवेल हैचरी से स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	2.80	1.20	1.20	1.60	1.60	1.60	2.80	1.60	3.20	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	24.00
9	विभागीय हैचरी का रखरखाव एवं स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं० करोड़ में)	5	0	5	0	0	3	3	3	0	3	3	0	0	5	30
10	विभागीय हैचरी का रखरखाव एवं स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	2.00	12.00
11	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्पॉन का संवयन का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	1800	600	800	800	400	700	700	400	900	700	800	500	400	0	12500
12	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्पॉन का संवयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	14.40	4.80	6.40	6.40	3.20	5.60	5.60	3.20	31.20	5.60	6.40	4.00	3.20	0.00	100.00
13	जलाशय में मेजर कार्य मत्स्य अभ्युत्थिकार्यों का संवयन का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	32	12	12	12	10	10	16	5	35	16	5	0	5	0	170
14	जलाशय में मेजर कार्य मत्स्य अभ्युत्थिकार्यों का संवयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	24.00	9.00	9.00	9.00	7.50	7.50	12.00	3.75	26.25	12.00	3.75	0.00	3.75	0.00	127.50
15	जलाशय में ग्रार्स कार्य मत्स्य अभ्युत्थिकार्यों का संवयन का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	3	1	1	1	1	1	2	1	6	2	0	0	1	0	20
16	जलाशय में ग्रार्स कार्य मत्स्य अभ्युत्थिकार्यों का संवयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	4.50	1.50	1.50	1.50	1.50	3.00	3.00	1.50	9.00	3.00	0.00	0.00	1.50	0.00	30.00
17	वर्ष 2017-18 तक पुराने केंद्रों में परीक्षित/अन्य उपयुक्त बीजों का संवयन का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	3.64	1.12	1.54	1.54	2.52	0	3.64	0	23.9	3.85	1.12	0	0	0	42.87
18	वर्ष 2017-18 तक पुराने केंद्रों में परीक्षित/अन्य उपयुक्त बीजों का संवयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	5.46	1.68	2.31	2.31	3.78	0.00	5.46	0.00	35.85	5.78	1.68	0.00	0.00	0.00	64.31
19	पुराने विवरदन किश कार्यों/ओपेन परिया कार्यों का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	30	8	14	14	10	14	20	12	40	10	10	10	8	0	200
20	पुराने विवरदन किश कार्यों/ओपेन परिया कार्यों का इंप्यूट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	7.50	2.00	3.50	3.50	2.50	3.50	5.00	3.00	10.00	2.50	2.50	2.50	2.00	0.00	50.00
21	नये विवरदन किश कार्यों/ओपेन परिया कार्यों का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	5	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	20
22	नये विवरदन किश कार्यों/ओपेन परिया कार्यों के निर्माण तथा इंप्यूट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
23	मछलीस्रोत समितियों/सदस्यों के नियुक्ति नाम का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	9	5	5	5	5	5	5	2	16	8	5	8	2	0	80
24	मछलीस्रोत समितियों/सदस्यों के नियुक्ति नाम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	2.70	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.60	4.80	2.40	1.50	2.40	0.60	0.00	24.00
ख	वित्त वर्ष 05-निर्माण-43-अनुसंधान, भरभराति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)	125.72	44.25	92.56	60.77	51.55	63.00	92.41	55.23	180.73	77.83	48.15	38.14	41.68	11.90	983.91
25	कार्यालयों/प्रक्षेत्रों के अनुसंधान, भरभराति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)	15.74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	35.74
26	केंद्र विद्युत् का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	20	0	0	8	10	0	0	0	54	10	10	0	0	0	112
27	केंद्र विद्युत् का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	5.00	0.00	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	13.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	28.00
ग	परिशोधना कार्यान्वयन हेतु आकस्मिकता व्यय (राशि लाख रु० में)	20.74	1.00	1.00	3.00	3.50	1.00	2.00	2.00	16.50	4.50	3.50	2.00	2.00	1.00	63.74
28	परिशोधना कार्यान्वयन हेतु आकस्मिकता व्यय (राशि लाख रु० में)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	14.00
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	147.46	46.25	94.56	64.77	56.05	65.00	95.41	58.23	199.23	83.33	52.65	41.14	44.58	12.90	1061.65

(रजि. विवरत)
 सरकार के सचिव

परिशिष्ट - III
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-सामग्री पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के विद्ये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना एवं जीर्णोद्धार के अंतर्गत विजावार मॉडिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	योग
क्र०	विवरण	रकम	कुटी	युग्म	मिहदगा	लौहदगा	जलेशर	बाईबागा	भारपुर	सरायकेला	दुसका	जायका	साईबाज	पाहुड़	इलाहाबाद	रायगढ़	कोडरमा	धरतर	मोकारथ	त्रिदिही	एनगाव	गोदवा	पलार	भदवा	देवघर	योग
1	विभागीय मत्स्य शीघ्र विवरण का मौलिक लक्ष्य (रु० लाख में)	15	5	40	5	5	5	10	10	15	15	10	10	20	15	5	15	10	10	10	10	20	10	10	20	300
2	विभागीय मत्स्य शीघ्र विवरण का वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	135	0.45	3.60	0.45	0.45	0.45	0.90	0.90	1.35	1.35	0.90	0.90	1.80	1.35	0.45	1.35	0.90	0.90	0.90	1.80	0.90	1.80	0.90	1.80	27.00
3	मत्स्य शीघ्र उत्पादकों को संख्या का मौलिक लक्ष्य (रु० में)	100	40	50	20	40	30	30	30	50	30	30	30	40	70	30	50	30	50	50	45	45	30	20	60	1000
4	मत्स्य शीघ्र उत्पादकों को इन्पुट (कैल्सिटेड फीड एवं जाल) का वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	4.00	1.60	2.00	0.80	1.60	1.20	1.20	1.20	2.00	1.20	1.20	1.20	1.60	2.80	1.20	2.00	1.20	2.00	2.00	1.80	1.80	1.20	0.80	2.40	40.00
5	मत्स्य शीघ्र उत्पादकों को खर्च आपूर्ति का मौलिक लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	2000	800	1000	400	800	600	600	600	1000	600	600	600	800	1400	600	1000	600	1000	1000	900	900	600	400	1200	20000
6	मत्स्य शीघ्र उत्पादकों को खर्च आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	9.90	3.96	4.95	1.98	3.96	2.97	2.97	2.97	4.95	2.97	2.97	2.97	3.96	6.93	2.97	4.95	2.97	4.95	4.95	4.46	4.46	2.97	1.98	5.94	99.00
7	जलाशय के बाइज (In-situ) में मत्स्य खर्च का संयोजन का मौलिक लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	350	150	200	150	150	150	200	150	500	200	150	100	100	350	250	200	150	300	150	250	150	150	150	350	5000
8	जलाशय के बाइज (In-situ) में मत्स्य खर्च का संयोजन का वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	2.80	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	4.00	1.60	1.20	0.80	0.80	2.80	2.00	1.60	1.20	2.40	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	2.80	40.00
9	जलाशय में मत्स्य कार्य मत्स्य अनुसंधानों के संयोजन का मौलिक लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	5	0	2	0	0	0	0	0	10	5	2	4	2	4	2	5	3	5	2	2	0	2	2	3	60
10	जलाशय में मत्स्य कार्य मत्स्य अनुसंधानों के संयोजन का वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	3.75	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	3.75	1.50	3.00	1.50	3.00	1.50	3.75	2.25	3.75	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	2.25	45.00
11	जलाशय में मत्स्य कार्य मत्स्य अनुसंधानों का संयोजन का मौलिक लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
12	जलाशय में मत्स्य कार्य मत्स्य अनुसंधानों का संयोजन का वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
13	वर्ष 2017-18 तक युग्म केबी में परीक्षण/अन्य उपयुक्त शीघ्रों का संयोजन का मौलिक लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	0.55	0.00	0.42	0.28	0.42	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.56	1.05	0.00	0.56	0.00	0.56	0.42	0.00	0.00	0.98	7.62
14	वर्ष 2017-18 तक युग्म केबी में परीक्षण/अन्य उपयुक्त शीघ्रों का संयोजन का वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	0.83	0.00	0.63	0.42	0.63	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.84	1.58	0.00	0.84	0.00	0.84	0.63	0.00	0.00	1.47	11.43
15	मत्स्य शीघ्र अनुसंधान/संयोजन के विद्ये मांग का मौलिक लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	10
16	मत्स्य शीघ्र अनुसंधान/संयोजन के विद्ये मांग का वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख रु० में)	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	3.00
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	22.93	7.21	14.28	4.85	8.14	5.82	6.67	6.27	29.28	10.87	7.77	8.87	9.66	18.23	9.26	15.83	8.82	15.14	10.55	11.50	9.89	7.77	6.38	16.96	272.93

(पूरा विवरण) संयोजन के संघि